भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 704

उत्‍तर देने की तारीख : 27 जुलाई, 2015

**सम-विश्वविद्यालयों की अवसंरचना**

**704. श्री गुलाम रसूल बलियावीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 44 सम-विश्वविद्यालयों में से 07 विश्वविद्यालयों में अवसंरचना की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विश्वविद्यालयों में अवसंरचना इत्यादि के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) अवसंरचना की कमी वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, 44 सम—विश्वविद्यालयों में से 07 सम-विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी नामतः (i) भारत उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (ii) एकेडमी ऑफ मेरीटाइम एजुकेशन एण्ड़ ट्रैनिंग कानाथूर, चेन्नई (iii) पोन्नईह रामाजयम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु (iv) महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय, अंबाला, हरियाणा (v) विनायक मिशन रिसर्च फॉउण्डेशन, सलेम, तमिलनाडु (vi) उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान सरदारशहर, राजस्थान और (vii) मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा। निरीक्षण करने पर, यूजीसी ने यह सूचित किया है कि इन सम—विश्वविद्यालयों में समिति द्वारा अवसंरचना सहित विभिन्न पैरामीटरों में कमी पाई गई थी।

(ग): यूजीसी (सम—विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 का खंड़ 7.0 अवसंरचना की निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं का उल्लेख करता हैः

(I) अपने मुख्य परिसर में 05 एकड़ भूमि से कम नहीं यदि यह मैटरोपॉलिटन क्षेत्र में स्थित है, अपने मुख्य परिसर में 07 एकड़ भूमि से कम नहीं यदि यह गैर-मैटरोपॉलिटन शहरी क्षेत्र में स्थित है अथवा अपने मुख्य परिसर में 10 एकड़ भूमि से कम नहीं यदि यह गैर-शहरी क्षेत्र में स्थित है अथवा संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार, जो भी अधिक हो।

(II) बहुविषयक संस्थान के मामले में अपेक्षित भूमि सभी पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित भूमि क्षेत्र का योग होगी।

(III) कम से कम 1000 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन।

(IV) कम से कम 10,000 वर्ग मीटर का अकादमिक भवन जिसमें लाइब्रेरी, लेक्चर थियेटर और प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जिसमें से केवल केन्द्रीय लाइब्रेरी ही लगभग 2000 वर्ग मीटर की होगी।

(V) शिक्षकों और गेस्ट हाउस हेतु आवासीय निवास।

(VI) छात्रों के लिए छात्रावास निवास। छात्रावास निवास में सम-विश्वविद्यालय संस्थान के अस्तित्व के 3 वर्ष के भीतर कम से कम 25% छात्रों की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी।

(VII) संस्थान के उपकरण, पुस्तकें और पत्रिकाएं संस्थान के आकार और कार्याकलापों के अनुरूप होंगे और संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

(VIII) इस संस्थान में स्वअधिगम/वर्चुअल प्रयोग/हेण्ड्स ऑन टेक्निक के साथ पत्रिकाएं, पुस्तकें और अन्य अधिगम सामग्री को इलैक्ट्रॉनिक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त स्तर की ब्रौडबैण्ड क्नेक्टीविटी भी होगी।

सम-विश्वविद्यालयों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा यूजीसी की वैबसाइट [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) पर भी उपलब्ध हैं।

(घ): विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जिसमें काफी कमियां अर्थात अवसंरचना, संकाय, अनुसंधान कार्यकलाप, यूजीसी विनियमों का पालन करना, शासी प्रणाली, दाखिला प्रक्रिया और शुल्क संरचना तथा संकाय और छात्रों के लिए सुविधाएं थी इन सातों संस्थाओं के संबंध में उल्लिखित की जा चुकी है, आयोग के समक्ष रखी गई थी। तथापि, यह मामला 2006 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं.142 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस समय न्याय निर्णयाधीन है।

\*\*\*\*\*